कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(56)एफ.एम.डी.एस.एस. / अप्रमुवसं / एम.एण्डई. / 2024 / 11077267 दिनांक: 16/10/2024

परिपत्र

विभाग में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावी प्रबोधन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में विभिन्न परिपत्र एवं दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अंतर्गत हरियालो राजस्थान योज़ना, अरबन ग्रीन–लंग्स, वृक्षारोपण महाअभियान, मातृवन की स्थापना आदि कार्यों के आरम्भ हो जाने से वन विकास कार्यो की मात्रा में व्यापक बढोतरी हुई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वन विकास कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन में आधुनिक तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग करना भी समय की आवश्यकता है।

विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य योजना, नाबार्ड, कैम्पा, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वृक्षारोपण कार्यों को करने के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में विभाग ने विभिन्न वृक्षारोपण मॉडल जारी किए हैं जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में विभाग के पास ऐसे मॉडल हैं जो 5 साल, 8 साल और 12 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इन वृक्षारोपणों का प्रभावी ढंग से स्वतंत्र मूल्यांकन करने हेतु यह दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :–

1. विभाग में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सृजित वृक्षारोपण कार्यों का मूल्यांकन **पांच चरणों** में किया जायेगा। मॉडल प्रावधान अनुसार मूल्यांकन हेतु चरणवार प्रतिचयन निम्नानुसार किया जावेगा :

(अ). 5 वर्षीय मॉडल हेतु

मूल्यांकन का चरण	कार्य वर्ष	मूल्यांकन हेतु प्रतिदर्श (Sample) का प्रतिशत
प्रथम	अग्रिम कार्यवाही वर्ष	10%
दूसरा	रोपण वर्ष	10%
तीसरा	प्रथम वर्ष संधारण	5%
चतुर्थ	द्वितीय वर्ष संधारण	5%
पंचम	तीसरा वर्ष संधारण	5%

(ब). 8 वर्षीय मॉडल हेतु

मूल्याकंन का चरण	कार्य वर्ष	मूल्याकंन हेतु प्रतिदर्श (Sample) का प्रतिशत
प्रथम	अग्रिम कार्यवाही वर्ष	10%
दूसरा	रोपण वर्ष	10%
–	प्रथम वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
तीसरा	द्वितीय वर्ष संधारण	5%
–	तीसरा वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
चतुर्थ	चतुर्थ वर्ष संधारण	5%
–	5वें वर्ष का संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
पंचम	6वां वर्ष संधारण	5%

RajKaj Ref No.: 11077267

(स)ण 12 वर्षीय मॉडल हेतु

मूल्यांकन का चरण	कार्य वर्ष	मूल्यांकन हेतु प्रतिदर्श (Sample) का प्रतिशत
प्रथम	अग्रिम कार्यवाही वर्ष	10%
दूसरा	रोपण वर्ष	10%
–	प्रथम वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
तीसरा	द्वितीय वर्ष संधारण	5%
–	तीसरा वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
–	चतुर्थ वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
–	5वें वर्ष का संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
चतुर्थ	6वां वर्ष संधारण	5%
–	7वें वर्ष का संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
–	8 वां वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
–	9 वां वर्ष संधारण	कोई मूल्यांकन नहीं
पंचम	10 वां वर्ष संधारण	5%

प्रत्येक चरण के लिये कार्यस्थल के चयन का उदाहरण :–

यदि वर्ष 2025–26 के दौरान मूल्याकंन किया जाता है तो निम्न अनुसार कार्यस्थलों का चयन किया जायेगा –

चरण	कार्यस्थल का वर्ष जिसका चयन किया जायेगा		
	5 वर्षीय मॉडल	8 वर्षीय मॉडल	12 वर्षीय मॉडल
प्रथम	वर्ष 2024–25 में संपादित अग्रिम मृदा कार्य	वर्ष 2024–25 में संपादित अग्रिम मृदा कार्य	वर्ष 2024–25 में संपादित अग्रिम मृदा कार्य
द्वितीय	वर्ष 2023–24 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2023–24 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2023–24 में संपादित वृक्षारोपण कार्य
तृतीय	वर्ष 2022–23 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2021–22 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2021–22 में संपादित वृक्षारोपण कार्य
चतुर्थ	वर्ष 2021–22 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2019–20 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2017–18 में संपादित वृक्षारोपण कार्य
पंचम	वर्ष 2020–21 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2017–18 में संपादित वृक्षारोपण कार्य	वर्ष 2013–14 में संपादित वृक्षारोपण कार्य

2. **चरणवार मूल्यांकन कार्य** :
प्रत्येक चरण में स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा **प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य** निम्नानुसार किया जावेगा :

(अ). प्रथम चरण का मूल्यांकनः

कार्यस्थल का चयन

कार्यस्थलों का चयन : प्रथम चरण में, विभाग में कुल विकास कार्यस्थल जिनमें अग्रिम मृदा कार्य आरम्भ किये गये हैं, उन समस्त विकास/वृक्षारोपण कार्यों में से 10% अग्रिम मृदा कार्य स्थलों का मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा । मूल्याकंन हेतु कार्यस्थलों का चयन स्तरीकृत क्रमरहित प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति से किया जाएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल के कार्यों में से प्रतिदर्श प्राप्त हो। इस प्रकार चयनित 10% कार्यस्थलों का शत–प्रतिशत मूल्याकंन/गणना की जायेगी।

मूल्यांकन की अवधि

RajKaj Ref No.: 11077267

मूल्याकंन कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के माह अप्रेल के दूसरे पखवाड़े से जून माह तक पूर्ण किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रकिया

इस शत–प्रतिशत मूल्याकंन के दौरान कार्य स्थल में बनाई गई समस्त प्रकार की फैसिंग जैसे खाई फैसिंग, पत्थर की दीवार, काटेंदार तार फैसिंग आदि, कटिंन्यूअस कटूंर ट्रैचेंज/वीडिच, स्टैगर्ड कटूंर ट्रैंच, कटूंर डाइक्स, चैक डैम्स, परकोलेशन टैंक, नाड़ी, तलाई, अर्दन चैक डैम, खड्डे आदि समस्त सम्पादित गतिविधियों का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से मूल्यांकन कार्य किया जायेगा।

समस्त मूल्यांकन कार्य स्थल पर बनाये गये उपखण्डों के अनुसार किये जायेगा।

समस्त विकास गतिविधियों के मूल्यांकन के परिणाम का अभिलेखन संलग्न निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इन प्रारूप/प्रपत्रों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा किया जा सकेगा।

यह मूल्यांकन कार्य मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक गणना के अतिरिक्त उपग्रह छवियों, मानव रहित एरियल वाहन (UAV) तकनीकों द्वारा भी द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्यस्थल के क्षेत्रफल के मूल्यांकन हेतु बंद किये गये क्षेत्र की फैंसिग के अनुसार जी.पी.एस. से सर्वेक्षण कर के.एम.एल.(KML) फाईल बनाकर क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जायेगा।

(ब). द्वितीय चरण का मूल्यांकनः

कार्यस्थल का चयन

द्वितीय चरण में उन कार्यस्थलों का चयन किया जायेगा जिनमें इसी वर्ष के मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण एवं बीजारोपण कार्य कराए गये हैं। इस चरण में भी वर्ष के दौरान कराये गये कुल वृक्षारोपण कार्यस्थलों के 10% कार्यस्थलों का चयन मूल्यांकन हेतु किया जायेगा। मूल्याकंन हेतु कार्यस्थलों का चयन स्तरीकृत क्रमरहित प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति पर किया जाएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल के कार्यों में से प्रतिदर्श प्राप्त हो। इस प्रकार चयनित 10% कार्यस्थलों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन/गणना की जायेगी।

मूल्यांकन की अवधि

इस चरण का मूल्यांकन नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रकिया

इस शत–प्रतिशत मूल्याकंन के दौरान कार्य स्थल में बनाई गई समस्त प्रकार की फैंसिग जैसे खाई फैंसिग, पत्थर की दीवार, काटेंदार तार फैंसिग आदि के साथ–साथ तथा माउण्ड पर, कटिंन्यूअस कटूंर ट्रैचेंज/वीडिच, स्टैगर्ड कटूंर ट्रैंच आदि के माउण्ड पर किये गये बीजारोपण के अंकुरण, समस्त भू–जल संरक्षण संरचनाओं की उपयोगिता, रोपित पौधों की गणना/गुणवता एवं जीवित प्रतिशतता, समस्त वनवर्धन क्रियाओं जैसे कट बैक ऑपरेशन आदि का मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से किया जायेगा।

समस्त मूल्यांकन कार्य स्थल पर बनाये गये उपखण्डों के अनुसार किये जायेगें।

समस्त विकास गतिविधियों के मूल्यांकन के परिणाम का अभिलेखन संलग्न निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इन प्रारूप/प्रपत्रों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा किया जा सकेगा।

RajKaj Ref No.: 11077267

यह मूल्यांकन मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक गणना के अतिरिक्त उपग्रह छवियों, मानव रहित एरियल वाहन (UAV) तकनीकों द्वारा भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्यस्थल के क्षेत्रफल के मूल्यांकन हेतु बंद किये गये क्षेत्र की फैंसिग के अनुसार जी.पी.एस. से सर्वेक्षण कर के.एम.एल.(KML) फाईल बनाकर क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जायेगा।

(स). तृतीय चरण का मूल्यांकनः

कार्यस्थल का चयन

तृतीय चरण में संधारण के प्रथम वर्ष (5 वर्षीय मॉडल), द्वितीय वर्ष (8 वर्षीय मॉडल), द्वितीय वर्ष (12 वर्षीय मॉडल) वाले कार्यस्थलों का चयन किया जायेगा। जिनमें पिछले मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण एवं बीजारोपण कार्य कराए गये हैं। इस चरण में भी वर्ष के दौरान कराये गये कुल वृक्षारोपण कार्यस्थलों के 5% कार्यस्थलों का चयन मूल्यांकन हेतु किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु कार्यस्थलों का चयन स्तरीकृत क्रमरहित प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति पर किया जाएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल के कार्यों में से प्रतिदर्श प्राप्त हो। इस प्रकार चयनित 5% कार्यस्थलों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन/गणना की जायेगी।

मूल्यांकन की अवधि

इस चरण का मूल्यांकन नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रकिया

इस शत–प्रतिशत मूल्यांकन के दौरान कार्य स्थल में बनाई गई समस्त प्रकार की फैंसिग जैसे खाई फैसिंग, पत्थर की दीवार, काटेंदार तार फैंसिग आदि के साथ–साथ तथा माउण्ड पर, कटिंन्यूअस कटूंर ट्रैचेंज/वीडिच, स्टैगर्ड कटूंर ट्रैंच आदि के माउण्ड पर किये गये बीजारोपण के अंकुरण से पौधों की वृद्धि, समस्त भू–जल संरक्षण संरचनाओं की उपयोगिता, रोपित पौधों की वृद्धि की गणना/गुणवता एवं जीवित प्रतिशतता, समस्त वनवर्धन क्रियाओं जैसे कट बैक ऑपरेशन आदि से पौधों की वृद्धि का मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से किया जायेगा।

समस्त मूल्यांकन कार्य स्थल पर बनाये गये उपखण्डों के अनुसार किये जायेगें। समस्त विकास गतिविधियों के मूल्याकंन के परिणाम का अभिलेखन संलग्न निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र मे किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इन प्रारूप/प्रपत्रों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा किया जा सकेगा।

यह मूल्यांकन मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक गणना के अतिरिक्त उपग्रह छवियों, मानव रहित एरियल वाहन (UAV) तकनीकों द्वारा भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा भी किया जा सकेगा।

(द). चतुर्थ चरण का मूल्यांकन :

कार्यस्थल का चयन

चतुर्थ चरण में संधारण के द्वितीय वर्ष (5 वर्षीय मॉडल), चतुर्थ वर्ष (8 वर्षीय मॉडल), छठवा वर्ष (12 वर्षीय मॉडल) वाले कार्यस्थलों का चयन किया जायेगा। इस चरण में मूल अग्रिम मृदा कार्य के दौरान कराये गये कुल वृक्षारोपण कार्यस्थलों के 5% कार्यस्थलों का चयन मूल्यांकन हेतु किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु कार्यस्थलों का चयन स्तरीकृत क्रमरहित प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति पर किया जाएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल के

RajKaj Ref No.: 11077267

कार्यों में से प्रतिदर्श प्राप्त हो। इस प्रकार चयनित 5% कार्यस्थलों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन/गणना की जायेगी।

मूल्यांकन की अवधि

इस चरण का मूल्याकंन नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रकिया

इस शत–प्रतिशत मूल्याकंन के दौरान कार्य स्थल में बनाई गई समस्त प्रकार की फैसिंग जैसे खाई फैसिंग, पत्थर की दीवार, काटेंदार तार फैसिंग आदि के साथ–साथ तथा माउण्ड पर, कटिंन्यूअस कटूंर ट्रैचेंज/वीडिच, स्टैगर्ड कटूंर ट्रैंच आदि के माउण्ड पर किये गये बीजारोपण के अंकुरण से पौधों की वृद्धि, समस्त भू–जल संरक्षण संरचनाओं की उपयोगिता, रोपित पौधों की वृद्धि की गणना/गुणवता एवं जीवित प्रतिशतता, समस्त वनवर्धन क्रियाओं जैसे कट बैक ऑपरेशन आदि से पौधों की वृद्धि का मूल्याकंन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से किया जायेगा।

समस्त मूल्याकंन कार्य स्थल पर बनाये गये उपखण्डों के अनुसार किये जायेगें।

समस्त विकास गतिविधियों के मूल्यांकन के परिणाम का अभिलेखन संलग्न निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इन प्रारूप/प्रपत्रों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा किया जा सकेगा।

यह मूल्यांकन मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक गणना के अतिरिक्त उपग्रह छवियों, मानव रहित एरियल वाहन (UAV) तकनीकों द्वारा भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा भी किया जा सकेगा।

(य). पंचम चरण का मूल्यांकन :

कार्यस्थल का चयन

पंचम चरण में संधारण के तृतीय वर्ष (5 वर्षीय मॉडल), छठे वर्ष (8 वर्षीय मॉडल), दसवें वर्ष (12 वर्षीय मॉडल) वाले कार्यस्थलों का चयन किया जायेगा। इस चरण में मूल अग्रिम मृदा कार्य के दौरान कराये गये कुल वृक्षारोपण कार्यस्थलों के 5% कार्यस्थलों का चयन मूल्याकंन हेतु किया जायेगा। मूल्याकंन हेतु कार्यस्थलों का चयन स्तरीकृत क्रमरहित प्रतिचयन (Stratified Random Sampling) पद्धति पर किया जाएगा ताकि सभी प्रकार के मॉडल के कार्यों में से प्रतिदर्श प्राप्त हो। इस प्रकार चयनित 5% कार्यस्थलों का शत–प्रतिशत मूल्यांकन/गणना की जायेगी।

मूल्यांकन की अवधि

इस चरण का मूल्यांकन नवम्बर से फरवरी माह के मध्य किया जायेगा।

मूल्यांकन प्रकिया

इस शत–प्रतिशत मूल्यांकन के दौरान कार्य स्थल में बनाई गई समस्त प्रकार की फैंसिग जैसे खाई फैसिंग, पत्थर की दीवार, काटेंदार तार फैंसिग आदि के साथ–साथ तथा माउण्ड पर, कटिंन्यूअस कटूंर ट्रैचेंज/वीडिच, स्टैगर्ड कटूंर ट्रैंच आदि के माउण्ड पर किये गये, बीजारोपण के अंकुरण से पौधों की वृद्धि, समस्त भू–जल संरक्षण संरचनाओं की उपयोगिता, रोपित पौधों की वृद्धि की गणना/गुणवता एवं जीवित प्रतिशतता, समस्त वनवर्धन क्रियाओं जैसे कट बैक ऑपरेशन आदि से पौधों की वृद्धि का मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से किया जायेगा।

समस्त मूल्यांकन कार्य स्थल पर बनाये गये उपखण्डों के अनुसार किये जायेगें।

RajKaj Rer No.: 11077267

समस्त विकास गतिविधियों के मूल्यांकन के परिणाम का अभिलेखन संलग्न निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र में किया जायेगा। भविष्य में आवश्यकतानुसार इन प्रारूप/प्रपत्रों में संशोधन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा किया जा सकेगा।

यह मूल्याकंन मानवीय संसाधन द्वारा प्रत्यक्ष भौतिक गणना के अतिरिक्त उपग्रह छवियों, मानव रहित एरियल वाहन (UAV) तकनीकों द्वारा भी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) द्वारा भी किया जा सकेगा।

3. मूल्यांकनकर्ता अभिकरणः

विभाग द्वारा सम्पादित विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने, मूल्यांकन प्रकिया में हितो के टकराव को समाप्त करने, मूल्यांकन कार्य में नवाचार एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने, विभाग के बाहर उपलब्ध ज्ञान एवं कौशल का उपयोग करने, मूल्यांकन कार्य की विश्वसनीयता को सुदृढ करने, मूल्यांकन कार्य के परिणामों के अनुसार विभाग के कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने एवं कार्य को समयबद्ध ढंग से करने के उद्देश्य से उपरोक्त सभी चरणों में समस्त प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य विभाग द्वारा विहित रीति अनुसार स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।

मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र तृतीय पक्ष का उपापन एवं चयन विभाग द्वारा इस संबंध में पृथक से निर्धारित रीति से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4. मूल्यांकन सत्यापन प्रक्रियाः

यह सुनिश्चित करने के लिए कि चयनित तृतीय पक्ष द्वारा किया गया मूल्यांकन सही एवं निष्पक्ष है, तृतीय पक्ष द्वारा किया गये मूल्यांकन का सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस प्रयोजन के लिए, मूल्यांकन करने वाला तृतीय पक्ष अभिकरण, एक सीलबंद लिफाफे में एक विशिष्ट चरण के लिए क्षेत्र से एकत्र किए गए सूचना एवं जानकारी को विभाग के प्रबोधन एवं मूल्यांकन अनुभाग प्रभारी को अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। तृतीय पक्ष से प्राप्त सूचना एवं जानकारी में से 10% कार्यस्थलों का चयन क्रमरहित प्रतिचयन पद्धति (Random sampling) से किया जाएगा। उन चयनित 10% कार्यस्थलों का मूल्यांकन/जांच प्रबोधन एवं मूल्यांकन अनुभाग प्रभारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष की उपस्थिति में किया जाएगा। इस सत्यापन के उपरान्त ही, तृतीय पक्ष द्वारा किया जा रहा मूल्यांकन कार्य संतोषप्रद एवं सही पाये जाने पर, तृतीय पक्ष, विभाग को उनके द्वारा किये गये समस्त मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करेगा।

5. मूल्यांकन एवं प्रबोधन सम्पादित करने हेतु विभिन्न कार्यालयों के उत्तरदायित्वः

इस मूल्यांकन को व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए, विभिन्न कार्यालयों के उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगें:

(अ). मुख्यालय का विकास अनुभागः

मुख्यालय के विकास अनुभाग के अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अलग–अलग अनुभागों तथा परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। अतः मूल्यांकन हेतु विकास अनुभाग के अतिरिक्त अन्य समस्त अनुभागों यथा कैम्पा एवं बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना कार्यालयों द्वारा अग्रिम मृदा कार्यों की सूची माह जनवरी तथा समस्त वृक्षारोपण विकास कार्यों की सत्यापित सूची माह जून तक मुख्यालय के विकास अनुभाग को प्रस्तुत करेगें। मुख्यालय के विकास अनुभाग इन समस्त अनुभागों एवं स्वयं के अनुभाग के अन्तर्गत कराये गये

RajKaj Ref No.: 11077267

विकास कार्यों की सूची संकलित कर अग्रिम मृदा कार्यों की सूची माह फरवरी तथा वृक्षारोपण कार्यों की सूची माह जुलाई तक प्रभारी प्रबोधन एवं मूल्यांकन को उपलब्ध करायेगें।

(ब). मुख्यालय का मूल्यांकन एवं प्रबोधन अनुभागः

विकास अनुभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, मूल्यांकन एवं प्रबोधन अनुभाग तीसरे पक्ष के सर्वेक्षण के संचालन, उसके सत्यापन, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर तृतीय पक्ष मूल्यांकन संबंधी समस्त कार्यवाही संपादित करेगें। तृतीय पक्ष द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के सत्यापन तथा सत्यापन पश्चात प्राप्त अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को प्रस्तुत करेगें।

(स). संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयः

संभागीय मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक और संभागीय कार्यालयों की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षी भूमिका वाले वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन समस्त उप वन संरक्षकगण वृक्षारोपण कार्यों से संबधित समस्त अभिलेख एवं सूचना एकत्रित कर माह नवम्बर तक पूर्ण कर तैयार रखेगें। मूल्यांकन हेतु आने वाले दल को संबंधित वृक्षारोपण कार्यस्थल से संबन्धित वृक्षारोपण जरनल, माप पुस्तिका, व्यय अनुमान तथा वृक्षारोपण कार्यस्थल से संबन्धित समस्त पत्रावली मूल्यांकन दल को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेगें।

(द). जिला/मंडल कार्यालयः

जिला एवं वन मंडल कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि वृक्षारोपण कार्यों से संबधित समस्त रिकॉर्ड अद्यतन कर माह नवम्बर तक पूर्ण कर तैयार रखेगें। मूल्यांकन हेतु आने वाले दल को संबंधित वृक्षारोपण कार्यस्थल से संबन्धित वृक्षारोपण जरनल, माप पुस्तिका, व्यय अनुमान तथा वृक्षारोपण कार्यस्थल से संबन्धित समस्त पत्रावली मूल्यांकन दल को अवलोकनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

वृक्षारोपण संपादन तथा रिकॉर्ड कीपिंग (Documentation) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार किये जाये। विशेषकर कार्यस्थल की उपचार योजना, उपचार मानचित्र, वृक्षारोपण मानचित्र, राजस्व मानचित्र पर वृक्षारोपण स्थल को सुपर इंपोज किया हुआ मानचित्र, कार्यस्थल का उपखण्डों में विभाजन का जिओ रेफरेंस्ड मानचित्र, उपखंडवार किये गये समस्त विकास कार्यों की स्पष्ट एवं विस्तृत सूची, पूर्णतया अपडेटेड प्लांटेशन जरनल, माप–पुस्तिका, प्लांटेशन फाईल आदि तैयार करवाकर रखें।

प्रत्येक प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना/दुर्घटना के कारण वृक्षारोपण को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्रमाण सहित प्लांटेशन जरनल में अंकित होना चाहिए जिसके अभाव में वृक्षारोपण को हुई क्षति के लिए समस्त प्रभारी कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी माने जायेगें।

वाछिंत रिकॉर्ड के अभाव में मूल्यांकन आंकडे प्रतिकूल आने का उत्तरदायित्व इसी कार्यालय पर होगा। जिस कार्यस्थल का मूल्यांकन किया जाना है उसके कार्य प्रभारी वनरक्षक, वनपाल तथा क्षेत्रीय बन अधिकारी की मूल्यांकन दल के साथ मूल्यांकन समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सबन्धित कार्मिकों को निर्देशित करना।

(य). रेंज कार्यालयः

विभाग की प्राथमिक क्षेत्र इकाई के रूप में, यह कार्यालय वृक्षारोपण कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों और वृक्षारोपण के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इस स्तर पर अभिलेखों का अद्यतनीकरण नियमित रूप से किया जाएगा और जब भी उनके उच्च कार्यालय द्वारा सूचना मांगी जाएगी तो वे उपलब्ध कराएंगे।

RajKaj Ref No.: 11077267

वृक्षारोपण संपादन तथा रिकॉर्ड कीपिंग (Documentation) विभाग द्वारा समय–समय पर जारी तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार किये जाये। विशेषकर कार्यस्थल की उपचार योजना, उपचार मानचित्र, वृक्षारोपण मानचित्र, राजस्व मानचित्र पर वृक्षारोपण स्थल को सुपर इंपोज किया हुआ मानचित्र, कार्यस्थल का उपखण्डों में विभाजन का जिओ रेफरेंस्ड मानचित्र, उपखंडवार किये गये समस्त विकास कार्यों की स्पष्ट एवं विस्तृत सूची, पूर्णतया अपडेटेड प्लांटेशन जरनल, माप–पुस्तिका, प्लांटेशन फाईल आदि तैयार करवाकर रखें।

प्रत्येक प्राकृतिक अथवा मानव जनित घटना/दुर्घटना के कारण वृक्षारोपण को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्रमाण सहित प्लांटेशन जरनल में अंकित होना चाहिए जिसके अभाव में वृक्षारोपण को हुई क्षति के लिए समस्त प्रभारी कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी माने जायेगें।

वाछिंत रिकॉर्ड के अभाव में मूल्यांकन आंकडे प्रतिकूल आने का उत्तरदायित्व उसी कार्यालय पर होगा। मूल्यांकन के दौरान प्रभारी वनरक्षक, वनपाल तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र में किए गए सभी कार्यों का मूल्यांकन तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है।

6. दिशा निर्देश में संशोधन एवं अन्य कार्य:

वृक्षारोपण कार्यों के मॉडल की क्रियान्वयन अवधि में अगर कोई बदलाव होने की स्थिति में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में आवश्यक संशोधन जारी करेगें।

इस दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधानों का सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्यालय/अनुभाग द्वारा सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एंफ.1(56)एफ.एम.डी.एस.एस./अप्रमुवसं/एम.एण्डई./2024/11077267 दिनांक: 16/10/2024

प्रतिलिपि समस्त वन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रबोधन एवं मूल्यांकन
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.
Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :15-10-2024 07:09:40

RajKaj Ref No.: 11077267